आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम (2))

आदेश पत्रक तारीख...तक

जिला.............मधुबनी.........................संख्या–70 सन् 2011–12

केश का प्रकार –राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–57 में मुआवजा निर्धारण के विरूद्ध

अर्जीकार– कृपानाथ मिश्र

प्रतिपक्षीः– सरकार (जिला भू–अर्जन पदा0)/एन0एच0ए0आई0104

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
23/1/18	आवेदक कृपानाथ मिश्र पिता स्व0 काली नाथ मिश्रा साकिन– पाही थाना–पण्डौल मौजा–खरड़क अंचल–झंझारपुर ने इस न्यायालय में राष्ट्रीय उच्च पथ अधिनियम की धारा– 3G (5) के अंतर्गत मध्यस्थ न्यायालय में आवेदन देते हुये प्रतिपक्षी को मुआवजा की अन्तर राशि सूद के साथ भुगतान करने का आदेश देने का अनुरोध किया है। आवेदक ने निम्नांकित को प्रतिपक्षी बनाया है:– 1– एन0एच0ए0आई0 एवं 2– जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी। आवेदक ने अपने आवेदन में लिखा है कि आवेदक की भूमि मौजा–खरड़क की रैयती भूमि का अर्जन राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–57 के चौड़ीकरण हेतु अर्जित की गयी। आवेदक की प्रश्नगत भूमि आवासीय किस्म की थी किन्तु मुआवजा का दर कम करके आकलन किया गया। प्रतिपक्षी संख्या–1 परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्च पथ की ओर से लिखित जवाब दिया गया जिसमें लिखा है कि राष्ट्रीय उच्च पथ अधिनियम के तहत गजट के समय भूमि के किस्म के आधार पर वास्तविक मूल्यांकन सक्षम पदाधिकारी के द्वारा किया गया है जिससे आवेदक पूर्ण संतुष्ट होकर मुआवजा की राशि वर्ष 2007 में ही प्राप्त कर लिया। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति 2007 राष्ट्रीय उच्च पथ अधिनियम को खण्डित नहीं कर सकता। आवेदक का आवेदन गलत, तथ्यहीन एवं वास्तविकता पर आधारित नहीं है। राष्ट्रीय उच्च अधिनियम के तहत आवेदक की भूमि का अधिग्रहण करने के समय वास्तविक किस्म के आधार पर मुआवजा का निर्धारण किया गया जिसे आवेदक एवं उनके सभी सहभागी ने पूर्ण संतुष्ट होकर वर्ष 2007 में ही मुआवजा प्राप्त कर लिया है तथा चार वर्षो के बाद इस तरह का आवेदन दिया गया है, आवेदक का आवेदन खारिज करने का अनुरोध किया गया। प्रतिपक्षी संख्या–2 जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी ने पत्रांक–1420/जि0भू0अ0दिनांक–13.07.2017 द्वारा अपना पक्ष लिखित रूप में रखा है जिसमें लिखा है कि एन0एच057 3डी.गजट 2006 के अनुसार अंचल–झंझारपुर मौजा–खड़रख खाता......खेसरा–25 रकवा–0.028 हेक्टेयर किस्म परती, खेसरा–26 रकवा–0.324 हेक्टेयर किस्म कृषि एवं 3 डी. गजट 2008 के अनुसार अंचल झंझारपुर मौजा–खड़रक खाता–.........खेसरा–25 रकवा 0.004हेक्टेयर किस्म कृषि खेसरा–26 रकवा–0.086 हेक्टेयर किस्म–कृषि का अर्जन किया गया है। उक्त अर्जित रकवा का किस्म का स्थल जॉच कर अधियाची विभाग परियोजना निदेशक, एन0एच057, एन0एच0ए0आई0दरभंगा द्वारा प्रस्ताव दिया गया। उक्त प्राप्त प्रस्ताव को कानूनगो द्वारा जॉच की गयी तत्पश्चात् अमीन द्वारा स्थल निरीक्षण खेसरा पंजी तैयार किया गया है जिसका पुनः निरीक्षण कानूनगो एवं तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा किया गया है एवं उसमें प्राप्त आपत्तियों का विधिवत् सुनवाई कर किस्म निर्धारण के संबंध में निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित खेसरा में भी उक्त सारे प्रक्रिया अपना कर ही उस समय ... किस्म का निर्धारण किया गया है। 3डी.गजट	

2006 एवं 3 डी. गजट 2008 के अनुसार पायी गयी किस्म को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक की ओर लिखित अभिकथन प्रस्तुत किया गया, लिखा है कि आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन पत्रों की छाया प्रति देखने से यह स्पष्ट हो जायेगा कि आवेदक अपने उक्त भूमि का रकवा सुधार एवं किस्म सुधार एवं नया निरूपण एवं नया मूल्य पर मुआवजा भुगतान के लिए वर्ष 2009 तक अपना दावा पेश करता रहा विपक्षियों के कार्यालय से मौखिक निर्देश भी मिला कि अभी जो मिलता है वह ले लें तथा ज्यादे के लिए आर्बिट्रेटर के कोर्ट में अपना दावा पेश करना। आवेदक अपना मुआवजा बंध पत्र के साथ पुनः अपना विरोध पत्र लगाकर के प्राप्त किया तथा नये सिरा से विरोध पत्र 2009 तक विभिन्न कार्यालयों में करता रहा। जब निष्कर्ष नहीं निकला तब वर्ष 2011 में उक्त आवेदन दाखिल किया जो कि समयानूकूल ही है। लिखित अभिकथन में अपने आवेदन की अधिकांश बातों को दोहराते हुये दाखिल मूल वो पूरक लिखित बहस एवं आवेदन के साथ लगाये गये संलग्नक संख्या–1 तथा पूरक लिखित बहस के साथ लगाये गये संलग्नक–संख्या–02 से 09 तक को देखकर आवेदक के मूल आवेदन में निहित मुआवजा का बांकी बचे रकम 70 प्रतिशत पर 9 प्रतिशत साधारण ब्याज जोड़कर मुआवजा का भुगतान करने का आदेश देने का अनुरोध किया है।

निष्कर्षः–

आवेदक का आवेदन, विपक्षी संख्या–01 एन0एच0ए0आई0 एवं प्रतिपक्षी संख्या–2 जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी की ओर से प्रस्तुत जवाब, आवेदक का लिखित अभिकथन एवं संलग्न साक्ष्यों का अवलोकन एंव परिसिलन के उपरान्त मैंने पाया कि उक्त अर्जित रकवा का किस्म का स्थल जॉच कर अधियाची विभाग परियोजना निदेशक, एन0एच057, एन0एच0ए0आई0दरभंगा के प्रस्ताव को कानूनगो द्वारा जॉच की गयी तत्पश्चात् अमीन द्वारा स्थल निरोक्षण कर खेसरा पंजी तैयार किया गया है जिसका पुनः निरीक्षण कानूनगो एवं तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा किया गया है एवं उसमें प्राप्त आपत्तियों का विधिवत् सुनवाई कर किस्म निर्धारण के संबंध में निर्णय लिया गया प्रस्तावित खेसरा में भी उक्त सारी प्रकिया अपना कर ही उस समय भूमि का जो स्वरूप था उसी के अनुरूप ही किस्म का निर्धारण किया गया है। सक्षम प्राधिकार–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी मधुबनी से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार उचित मुआवजा वर्ष 2007 में ही प्राप्त कर लिया गया है।

सुनवाई के क्रम में आवेदक की ओर से विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि मुआवजा का गणना सही नहीं किया गया है सही गणना कर अवशेष राशि का भुगतान किया जाय। सक्षम प्राधिकार–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि अर्जित भूमि के मुआवजा का गणना पुनः कर ली जाय यदि सही गणना कर मुआवजा का भुगतान आवेदक को कर दिया गया हो तो अग्रेत्तर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु यदि गणना में मुआवजा की राशि अवशेष हो तो अर्जनाधीन भूमि का अवशेष मुआवजा भूधारी को भुगतान कर दिया जाय। इसी ऑबजर्वेशन के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी–सह–सक्षम प्राधिकार मधुबनी को भेजें। आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते है।

लेखापित

04/11/18

मध्यस्थ पदाधिकारी–सह–
अपर समाहर्ता, मधुबनी।

मध्यस्थ पदाधिकारी–सह–
अपर समाहर्ता, मधुबनी।

अपर समाहर्ता
मधुबनी